रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226613
CG-DL-E-15042021-226613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1491] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943
No. 1491] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1602(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2740 (अ) तारीख 11 अगस्त, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 207. 200 कि.मी. से 262.600 कि.मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख"17.09.2020" को "दैनिक लोकमत" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था;और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि.मी. 207.200 से कि.मी. 262.600 तक (वर्धा-यवतमाल-वारंगाफाटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमी का संक्षित विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: यवतमाळ**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: महागाव				
	गांव का नाम: नंनदगव्हाण				
1	24	सरकारी (वन जमीन)	वन जमीन	0.13	सरकारी ई-क्लास वन विभाग (ताबेदार रोहिदास प्रभाकर आडे,सुमन मोतीराम राठोड, रवीनाबाई बजरंगलाल जयस्वाल, अमर दिलीप सुर्यवंशी, बाळु श्रावण राठोड, लखन विठल राठोड) (24)
			कुल	**0.13**	

[फा. सं. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 1602(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2740(E), dated 11 August-2020 , published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 on the stretch of land from Km. 207.200 to Km. 262.600 (Wardha-Yavatmal-Waranga Phata Section) District Yavatmal in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Lokmat" and "Dainik Bhaskar" both dated 17 September 2020, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 207.200 to Km. 262.600 (Wardha-Yavatmal-Waranga Phata Section) National Highway No. 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: YAVATMAL					
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mahagaon				
	Viilage: Nandgavhan				
1	24	Government(Forest)	Forest	0.13	Govt E-Class Forest (Possessor Rohidas Prabhakar Ade, Suman Motiram Rathod, Ravinabai Bajranglal Jaiswal, Amar Dilip Suryavanshi, Balu Sharavan Rathod, Lakhan Vithal Rathod) 24
			TOTAL	**0.13**	

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.15 17:20:40 +05'30'